कृपया प्रकाशनार्थ - **11 सितंबर 2009**

तारापूर प्रकल्पपीडितों के पुनर्वास के लिए सभी संबंधितों को एक राय बनाने का उच्च न्यायालय का सुझाव

मुंबई, शुक्रवार : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प के कारण पीडित अक्करपट्टी-पोफरण गाव वासियों के पुनर्वास का मामला सालों हल न होने के कारण आखिर इस मामले से जुडे सभी मिलकर अपनी एक राय बनाएं, ऐसा सुझाव मुंबई उच्च न्यायालय ने आज दिया.

न्यायमूर्ती श्रीमती रंजना देसाई व न्यायमूर्ती श्री.ए.ए.सय्यद के खंडपीठ (बेंच) के सामने आज इस रिट याचिका की सुनवाई हुई. आज की सुनवाई के समय इस याचिका से जुडे सभी अपना अंतिम कहना पेश करें ऐसा इसके पहले ही न्यायमूर्तीद्वय ने पिछली सुनवाई के समय कहा था. न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्वास हुए गाँवो में अब तक पिने के पानी की व्यवस्था नहीं है इस ओर प्रकल्पपीडितों के वकील एड.राजीव पाटील तथा याचिका में हस्तक्षेप किए पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री राम नाईक ने न्यायालय को बताया. इस समस्या का तुरंत समाधान करने का आदेश न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया. इसके बाद केंद्र सरकार की 2003 व 2007 की राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति के अनुसार इस पुरे पुनर्वास का खर्चा करने की जिम्मेदारी न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की है ऐसा भी श्री.नाईक ने कहा. महाराष्ट्र सरकार की ओर से एड.नितिन देशपांडे ने तो न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड.राजीव कुमार, एड.राजेश कोठारी व एड.लोपा मुनिम ने भी अपनी पेशी दी.

श्री.नाईक ने कहा कि प्रकल्पपीडितों ने सहयोग देने के कारणही 1,080 मैगेवॅट बिजली पैदा करनेवाले इस प्रकल्प का 540 मैगॅवॅट बिजली निर्माण का पहला चरण निर्धारीत समय से 230 दिन पहले, तो 540 मैगॅवॅट बिजली निर्माण का दुसरा चरण निर्धारीत समय से 166 दिन पहले पुरा हुआ जिसके कारण न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन के लगभग रु.400 करोड़ बचे है. साथही साथ इस पुरे प्रकल्प के लिए रु.6,525 करोड़ का प्रावधान होने के बावजूद असल में इस पर रु.6,100 करोड़ ही खर्च हुआ. याने कुल रु.825 करोड़ बचने के बावजूद भी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन प्रकल्पपीडितों को नियम के अनुसार आवश्यक सुविधाएं नहीं दे रही है, इस पर श्री.नाईक ने आपत्ती जतायी.

इस याचिका की सुनवाई पिछले पाच वर्षों से चल रही है. अब प्रकल्पपीडितों के पुनर्वास में अधिक देरी न लगे इसलिए श्री.राम नाईक तथा याचिका से जुडे सभी ने आपस में चर्चाविमर्श कर रास्ता निकालना चाहिए, चर्चा से जो राय बनेगी उसे 5 अक्तूबर को न्यायालय में पेश किया जाए ऐसा सुझाव खंडपीठ ने दिया.

(कार्यालय मंत्री)